

HIGH COURT OF MADHYA PRADESH

PRINCIPAL SEAT – JABALPUR

No. Reg(IT)(SA)/2026/ 1512

Jabalpur, Dated:- 19/09/2026

:: MEMO::

To,

**The Principal District and Sessions Judge,
District and Sessions Court
(All in the State of Madhya Pradesh)**

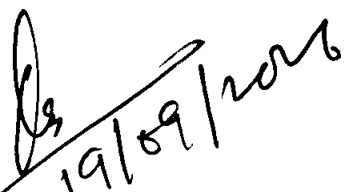
**The Principal Judge,
Family Court,
(All in the State of Madhya Pradesh)**

Sub: Regarding increase in financial powers.

**Ref: Letter no. E-927963/2026/21-B(One), Bhopal, dated:
15.09.2026.**

As directed, under the subject cited and with reference to above, please find here enclosed the letter no. E-953033/2026/Rule/ Four, dated: 11.09.2026 of State Finance Department and letter no. E-927963/2026/21-B(One), Bhopal, dated: 15.09.2026 of Law and Legislative Affairs Department, Government of Madhya Pradesh for information and compliance as per revised financial powers in the light of Book of Financial Powers Part-II .

Hence, please process the matter accordingly.


(F.H. QAZI)
PR.REGISTRAR (IT-SA)

Encl: As Above



ई-मेल/स्पीड पोस्ट

मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग

क्रमांक E-927963/2026/21-ब(एक),

भोपाल, दिनांक 15/09/2026

प्रति,

रजिस्ट्रार जनरल,

माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश,

जबलपुर (म.प्र.)।

विषय:- Regarding the increase in financial limits.

संदर्भ:- रजिस्ट्री का पत्र क्रमांक Reg(IT) (SA) /2026/1068 दिनांक 14.07.2026

उपरोक्त विषयक एवं संदर्भित पत्र के संबंध में वित्त विभाग का पत्र क्रमांक ई-953033/2026/नियम/चार दिनांक 11.09.2026 की छायाप्रति आपकी ओर सादर संलग्न प्रेषित है।

संलग्न:-उपरोक्तानुसार।

Digitally signed by
ANIL KUMAR PATHAK
Date: 15-09-2026
16:50:30

(अनिल कुमार पाठक)

सचिव,

मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल

मध्यप्रदेश शासन
वित्त विभाग
वल्लभ भवन, मंत्रालय भोपाल

क्रमांक/ई-953033 /2026/नियम/चार
प्रति.

भोपाल, दिनांक⁽¹⁾ सितम्बर, 2026

सचिव
मध्यप्रदेश शासन,
विधि एवं विधायी कार्य विभाग
वल्लभ भवन, मंत्रालय भोपाल ।

विषय :- मध्यप्रदेश वित्तीय अधिकार पुस्तिका 1995 भाग-2 के अंतर्गत वित्तीय अधिकारों का प्रत्यायोजन ।

000

मध्यप्रदेश वित्तीय अधिकार पुस्तिका 1995 भाग-2 में विधि एवं विधायी कार्य विभाग (माननीय उच्च न्यायालय) को पूर्व में प्रदत्त वित्तीय अधिकारों के सरल क्रमांक 3 को निम्नानुसार संशोधन करते हुए वित्तीय अधिकार प्रत्यायोजित किये जाते हैं:-

विधि एवं विधायी कार्य विभाग

सू0क्र0	विवरण	वित्तीय शक्तियों का प्रयोग करने वाले सक्षम प्राधिकारी	प्रत्यायोजन की सीमा	शर्तें
1	2	3	4	5
3	कार्यालय की सामग्री और उपकरणों का क्रय	माननीय मुख्य न्यायाधिपति	पूर्ण अधिकार	
		प्रधान न्यायाधीश जिला एवं सत्र न्यायालय (स्थापना में न्यायालयों की संख्या 1 से 15)	20 लाख	मध्यप्रदेश
		प्रधान न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय (स्थापना में न्यायालयों की संख्या 1 से 15)		भंडार क्रय एवं सेवा
		प्रधान न्यायाधीश जिला एवं सत्र न्यायालय (स्थापना में न्यायालयों की संख्या 16 से 30)	40 लाख	उपार्जन
		प्रधान न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय (स्थापना में न्यायालयों की संख्या 16 से 30)		नियमों का पालन करते
		प्रधान न्यायाधीश जिला एवं सत्र न्यायालय (स्थापना में न्यायालयों की संख्या 31 से 45)	60 लाख	हुए प्रदत्त
		प्रधान न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय (स्थापना में न्यायालयों की संख्या 31 से 45)		बजट सीमा के आधीन

	प्रधान न्यायाधीश जिला एवं सत्र न्यायालय, (स्थापना में न्यायालयों की संख्या 46 से ज्यादा)	80 लाख
	प्रधान न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय (स्थापना में न्यायालयों की संख्या 46 से ज्यादा)	

2. यह संशोधन आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से

तथा आदेशानुसार

Digitally signed by
Vivek Kumar Ghara
Date: 10-09-2026
18:32:40

(विवेक कुमार घारू)

उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग

पृष्ठा 0 क्रमांक/ई-953033/2026/नियम/चार

भोपाल, दिनांक 11 सितम्बर, 2026

प्रतिलिपि :-

1. महालेखाकार (लेखा और हकदारी/आडिट) 1/2 मध्यप्रदेश ग्वालिथर/ भोपाल ।
2. आयुक्त कोष एवं लेखा मध्यप्रदेश ।
3. सहायक संचालक/प्रोग्रामर वित्तीय प्रबंधन सूचना प्रणाली, मंत्रालय भोपाल ।

Digitally signed by

Abhishek Chohan

Date: 10-09-2026

20:16:21

(अभिषेक चौहान)

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग